Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 4088 / 2005 / बूंदी रतनलाल बनाम मूलचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।
(2) विपक्षी बाजवूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 22 मई, 2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 72/2005 शीर्षक रतनलाल बनाम मूलचंद में पारित निर्णय दिनांक 21–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने समक्ष जैरकार अपील को खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन के समक्ष ग्राम चडी तहसील के0पाटन अवस्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 504 में से 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि, जिसका नवीन बंदोबस्त में खसरा नं0 764/1 रकबा 0.82 है0 कायम किया गया, के संबंध में धारा 212, अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर उक्त कृषि भूमि पर 800/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष जुवारा काश्त से प्रार्थी का कब्जा बरकरार रखते हुए आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 21–5–2005 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बूंदी का निर्णय दिनांक 22–3–2005 को यथावत रखा गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विपक्षी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। अतः बहस प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4– अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी को भूमिहीन कृषक की हैसियत से ग्राम चडी तहसील के0पाटन अवस्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 504 में से 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि, जिसका नवीन बंदोबस्त में खसरा नं0 764/1 रकबा 0.82 है0 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विचाराधीन है। अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी द्वारा धारा 212, अधिनियम के तहत परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि आवंटित की जा चुकी और कब्जा संभलाया जा चुका है, जिससे वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 मूलचंद के विरूद्ध एक सिलिंग प्रकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 4088 / 2005 / बूंदी** **रतनलाल बनाम मूलचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चला था, जिसमें दिनांक 18-8-2000 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश पारित किया गया और अपीलांट प्रार्थी का आवंटन बहाल रखा गया। सीलिंग कार्यवाही में अति0 जिला कलक्टर, बूंदी के समक्ष लम्बित है। अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी उक्त आवंटित भूमि के संबंध में नकद प्रतिभूमि राशि जमा कराने को तैयार है, अतः उसके बेदखल नहीं किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई 800/- रूपये प्रति बीघा प्रति फसल की प्रतिभूति राशि लगा कर अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी को कब्जा बरकरार रखने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 40/- रूपये प्रति बीघा प्रति फसल जमा कराने का आदेश किया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे और अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे क प्रार्थी को आवंटित भूमि से बेदखल नहीं करे। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21-5-2005 के द्वारा अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया। 5- हमारी सुविचारित राय के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। वर्तमान प्रार्थी एवं वर्तमान अप्रार्थी के मध्य सीलिंग प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी के समक्ष विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान में विवाद है तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वर्तमान प्रार्थी को आंवटित है तथा वर्तमान अप्रार्थी सीलिंग असेसी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने नकद प्रतिभूति राशि जमा करवा कर कब्जा बरकरार रखने का आदेश देकर कोई त्रुटि नहीं की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें कोई विधिक अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 6- फलस्वरूप, हस्तगत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 4088 / 2005 / बूंदी** **रतनलाल बनाम मूलचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से 3 घटक, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बाबत विचार किया जाना है। प्रार्थीया सोनादेवी द्वारा अपनी पुत्री राजबाला के पक्ष में किये गये हक त्याग पत्र के आधार पर राजबाला को क्या अधिकार प्राप्त होगे और राजबाला द्वारा आगे भूमि स्थानान्तरण करने के पश्चात जिसके पक्ष में हक त्या प्रत्र निष्पादित किया गया है, उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यह मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय होना है। यदि दौराने दावा भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में एक प्रकार से पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व को ही तय कर दिया है। 8– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 4088 / 2005 / बूंदी** **रतनलाल बनाम मूलचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 11-5-2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26-10-2012 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शंकर लाल शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 4088 / 2005 / बूंदी** **रतनलाल बनाम मूलचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए